

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 13.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद Shri Ashok Kumar Rawat के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 468 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	कुशाय दविवेदी	श्री मनीष दविवेदी MOB- 8299304893	9	हरदोई
2	केशव तिवारी	श्री देवेन्द्र तिवारी MOB-7068621023	9	हरदोई
3	अभय शुक्ला	श्री रविकान्त शुक्ला MOB- 9956745139	6	IIT कल्यानपुर कानपुर नगर
4	आदित्य मिश्रा	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE		
5	अंशू यादव	श्री नन्द किशोर MOB- 9839246582	1	सीतापुर
6	मुस्कान मिश्रा	श्री रामलखन मिश्रा MOB- 9450802592	7	सीतापुर
7	आशुतोष वर्धन मिश्रा	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE		
8	अंशिका सिंह	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE		
9	ऋतुराज त्रिपाठी	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE		
10	मृदुसी सिंह	श्री प्रवीण कुमार सिंह MOB- 8737835051	2	हरदोई

पिशा ठाकुर कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


13/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Ashok Kumar Rawat माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, LUCKNOW संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)